उ.प्र. में निवेश एवं औद्योगिक विकास को गति देने के लिए वृहद् योजना पर होगा अमल

- *मुख्य सचिव– प्रदेश को निवेश का प्राथमिक गन्तव्य बनाने के लिए उद्योग बन्धु का नवीकरण कर सशक्त किया जाए*
- *आईआईडीसी– उद्यम व व्यवसाय को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेषज्ञ परामर्शी–नॉलेज पार्टनर को शीघ्र आबद्ध करने का प्रस्ताव*
- *आगामी माह के अन्त तक इस संबंध में जारी होंगे शासनादेश*

लखनऊ, 30 अक्तूबर, 2012:

उत्तर प्रदेश को निवेश–प्रिय गन्तव्य बनाने और औद्योगिक प्रगति को त्वरित करने के लिए प्रदेश सरकार शीघ्र ही निर्णायक कदम उठाते हुए उद्योग बन्धु के कार्यकलापों और संरचना को पुनर्गठित करेगी। इसके अतिरिक्त वेब–आधारित सिंगल विण्डो *निवेश मित्र* व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में संबंधित विभागों द्वारा उद्यमियों को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी न करने पर ऐसे विभागों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु एक अधिनियम लाने पर भी विचार किसा जा रहा है।

साथ ही इस उद्येश्य की पूर्ति एवं राज्य में व्यवसाय की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक विशेषज्ञ परामर्शी– नॉलेज पार्टनर को दीर्घकालिक रूप से आबद्ध करने पर भी गम्भीरता से विचार किया जा रहा है। नॉलेज पार्टनर न केवल नवीन अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास नीति 2012 का प्रचार–प्रसार करेगा, बल्कि निवेशकों की सहूलियत और शिकायत निवारण के लिए वेब–आधारित सिंगल विण्डो व्यवस्था, केन्द्र सरकार के ई–बिज़ मिशन मोड प्रोजेक्ट, जिसमें 49 विभागीय सेवायें इन्टरनेट के माध्यम से एक ही वेगसाइट पर उपलब्ध होंगी एवं अन्य सूचना प्रोद्यौगिकी संचालित एप्लीकेशन्स और पोर्टल्स के विकास में सक्रिय योगदान करेगा।

इस सन्दर्भ में शीघ्र ही राज्य मंत्रिमण्डल के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे तथा एक माह के भीतर शासनादेश जारी हो जाएंगे। ये निर्णय आज यहाँ मुख्य सचिव, जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में सम्पन्न एक उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए।

उद्योग बन्धु की कार्यप्रणाली एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए **मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने कहा**– **"उद्योग बन्धु द्वारा निवेश प्रोत्साहन और औद्योगिक विकास के लिए क्रियान्वित किए जा सकने वाले निर्णयों के अनुपालन हेतु इसको सुदृढ़ करते हुए निश्चित समय में सशक्त किया जाना आवश्यक है।"**

उन्होंने कहा– "राज्य में निवेश एवं उद्यम प्रोत्साहन में संलग्न सभी संस्थाओं के कार्यों और उद्येश्यों को स्प्ष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए।"

आईआईडीसी, अनिल कुमार गुप्ता ने कहा– "नॉलेज पार्टनर को अनुबन्धित करने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। चयनित परामर्शी राज्य की उज्जवल छवि बनाने, निवेश के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति और निवेश सुगम बनाने और उसके बाद की कार्यवाही में सरकार को सहयोग देगा।" आईआईडीसी ने बताया कि नॉलेज पार्टनर के चयन हेतु शीघ्र ही **निविदा आमंत्रित की जाएंगी।**

इस सन्दर्भ में मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को शासनादेश आगामी माह के अन्त तक जारी करवाने के लिए निर्देशित किया।

इस अवसर पर उद्योग बन्धु के परामर्शी **अर्नेस्ट एण्ड यंग** ने निवेश प्रोत्साहन के लिए एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण भी किया। बैठक में आईआईडीसी के अतिरिक्त प्रमुख सचिव–लघु उद्योग **मुकुल सिंहल**, सचिव औद्योगिक विकास **संजय प्रसाद**, उद्योग बन्धु के संयुक्त अधिशासी निदेशक **कौशलराज शर्मा** तथा संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों ने भाग लिया।